HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15484/2025

Sattar S/o Ismail Khan

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Ankit Kumar
For Respondent(s) : Ms. Manju Dave, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

03/12/2025

सुना गया।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी का प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम अंकित नहीं है, उसे मात्र अन्य व्यक्ति की सूचना के आधार पर प्रकरण में मिथ्या लिप्त किया जा रहा है। वह अनुसंधान में भाग लेने व संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष अनुसंधान में सहयोग करने हेतु तैयार व तत्पर हैं, उससे अभिरक्षात्मक अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है।

योग्य लोक अभियोजक ने इस प्रकरण के अनुसंधान से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की, जिसका अवलोकन किया गया।

दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण के अनुसंधान हेतु दिनांक **19.12.2025** को या इससे पूर्व **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–175/2025, पुलिस थाना हिण्डौन, जिला–करौली** के अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है।

अनुसंधान अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से गहनता से आवश्यक पूछताछ करने के पश्चात् प्रकरण की नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट मय केस डायरी योग्य लोक अभियोजक के माध्यम से आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

पत्रावली दिनांक **12.01.2026 को** सूचीबद्ध की जावे, तब तक प्रार्थी/अभियुक्त **सत्तार पुत्र इस्माईल खान** को इस प्रकरण में गिरफ्तार नहीं किया जावे।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /171